भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 120349

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

के0वी0एस0एजूकेशनल सोसायटी

न्यास विलेख (**Instrument of Trust**)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 05.12.2012 को ग्राम मरदापुर पो0सादात परगना शादियाबाद
-जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) में विजय कुमार पुत्र केदार ग्राम मरदापुर पो0 सादात
शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया । जिसे
/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता /संस्थापक पर रुपया 5000/ (पांच हजार रुपये
) की राशि है । जिसे की वह पुरुपार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं ।
/ संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज
हेतु सामाजिक सांस्कृतिक ,भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्था जनहित एवं समाज
को ध्यान में रखते हुए एवं शिक्षा के क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे –प्राविधिक,उच्च,चिकित्सा
आदि क्षेत्र में विशेषरुप सें कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट के0वी0एस0एजूकेशनल
सोसायटी के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा , जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।
ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा
/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान ,उपकार ,ऋण आदि भी
है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों
रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता /संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकुल 5000/–रु0
) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है ,क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय
मरदापुर पो0 सादात परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0)रहेगा
कार्यालय ग्राम मरदापुर पो0 सादात परगना शादियाबाद तहसील–जखनियां
गाजीपुर (उ0प्र0) अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार
पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।क्योंकि न्यासकर्ता /ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा
के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावद्ध घोषित किया जाता है ।

PHEKAN RAM
Advocate
Tehsil K.O. Saidpur
Distt.-Ghazipur (U.P.)
Regd. No.
25 (2)/08

विजय कुमार क्रमशः ...2

2 ट्रस्ट चल की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकताहै।
3 ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4 ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है।
5 ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट,सम्मान ,पुरस्कार, स्मृति चिन्ह ,मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
6 ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है ,सुरक्षित कर सकता है ,किसी बैंक,संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7 चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्यीभूत भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारिती गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है, दे सकता है।

(17) विशेष :-

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ कार्यक्रम /ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट के०वी०एस०एजूकेशनल सोसायटीके उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगें। अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/ किन्ही प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। (इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। के०वी०एस०एजूकेशनल सोसायटी की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित के०वी०एस०एजूकेशनल सोसायटी के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

टंकणकर्ता
राकेश कुमार शर्मा

साक्षीगण :-

नाम : सुरेन्द्र भान उपाध्याय
पता : मरदाह, दौलतनगर गाजीपुर

नाम : रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
छोटेलाल
ग्राम- दुल्ही के० दिलदार गाजीपुर

(विजय कुमार)
विजय कुमार
(संस्थापक/अध्यक्ष/ट्रस्टी)
के०वी०एस०एजूकेशनल सोसायटी

अशोक कुमार पाण्डेय

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515704

यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक,विधिक,अनुशासनात्मक,प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है

उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।

यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।

यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक,प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदानकर सकता है।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष /ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे :-

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उप ... नियुक्त करना।

PHEKAN RAM
Advocate
Tehsil ...
Distt.-Ghaziabad

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515703

यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, के द्वारा लिया गया ,निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

अध्यक्ष /मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :—

यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा ।

यह कि ट्रस्टी /अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करनें हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय /भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वंय अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ।

(6) कार्य क्षेत्र :—

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा । वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :—

मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय मे हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य–कलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है ,जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से स्वीकार होगा।

PHEKAN RAM
Advocate
Tehsil K.O.
Distt.-Gh...

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515702

मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रुप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत /इच्छा /व्यवस्था ही अन्तिम रुप से मान्य होगी ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रुप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा ।

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंन्त्र है जब तक कि वास्तविक रुप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया , कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

(1) बोर्ड आफ ट्रस्टीज –

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह [illegible] बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है,जिसमें अधिकतम 21 सदस्य होगें ।

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल [illegible] । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल [illegible]ने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।

NOTARY PHEKAN RAM Advocate Tehsil ... Distt.-Ghaziabad Regd.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये **Rs.20**

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AA 515701

4. के0वी0एस0एजूकेशनल सोसायटी मरदापुर दौलतनगर गाजीपुर द्वारा संचालित सभी उद्देश्यों व संस्थाओं को कुशलतापूर्वक आज से संचालन करना व विकास करना ।

प्रारम्भिक उपबन्ध –

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से विजय कुमार जो कि न्यासकर्ता एवं न्यासविलेख के रचयिता भी है को ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है ।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष विजय कुमार द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो विजय कुमार की मृत्यु के पश्चात उनके बडे पुत्र ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें ।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते है ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तान्तरण

1. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे ।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है ।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया ।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु होने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनेगा । कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

PHEKAN RAM
Advocate
Tehsil R.O. Saidpur
Distt

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515700

ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना,विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।

ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं /वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा तालाबों का निर्माण ,मछली पालन ,पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना ।

ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा

किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनीक का निर्माण करना ।

किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना ।

संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।

दलित पिछड़ों अल्प संख्यको का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर,राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।

धरना, ... कार्यक्रम ,गोष्ठी ,सम्मेलन ,सेमीनार ,वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी ... शासन -प्रशासन तक पहुंचाना ।

NOTARY PREKAN RAM

... मजबूती प्रदान करने के लिए ...

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515699

20. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ,संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।

21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार –प्रसार कर सकना ।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।

24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।

25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार –प्रसार कर सकना ।

26. पुस्तक,पुस्तिकाएं,पत्र,पत्रिकाएं समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित,सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना ।

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।

28. पत्राचार द्वारा अध्यापन ,अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना ।

29. उपगोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना ।

31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का-आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना ।

32. [illegible] आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता ,स्मृति

0148

PHEKANRAM Advocate

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये — Rs.20

रु.20 — TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AA 515698

10. आई0आई0टी0,आई0टी0आई,फार्मेरी,नर्स ट्रेनिंग,आपरेशन ,टेक्निशियन,लैब टेक्निशियन ,फिजीयों थीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र ,मेडिकल स्टोर ,जनरल स्टोर ,किराना की दुकान फोटो स्टेट,टाइपिंग ,कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।

12. पुस्तकालय वाचनालय पत्र–पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण,बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

13. अंधे,गूंगे,बहरे,असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा ,आवास ,भोजनकी व्यवस्था व,पुनर्वास,की स्थापना एवं संचालन करना ।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला ,वाणिज्यक वैज्ञानिक ,क्रीड़ा ,मार्शल आर्ट ,संगीत ,तकनीकी ,सामाजिक ,आधुनिक ,भाषा अंग्रेजी ,उर्दू ,कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन ,अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना ।

16. पुस्तको साहित्य,पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन,मुद्रण वितरण आदि कर सकना

17. सांस्कृतिक कार्यक्रम ,पर्यावरण कार्यक्रम ,एड्स कार्यक्रम ,अधिवेशन , गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताएं ,बैठकें,विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना ।

18. सिलाई कढाई ,बुनाई ,स्किन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।

19. किसी विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों ,महाविद्यालयों ,मेडिकल कालेजों [illegible] महाविद्यालयों ,इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट [illegible] समायोजित कर सकना ।

NOTARY
PHEKAN RAM
Advocate
Tehsil K.O. Saidpur
Distt.-Ghazipur (U.P.)
Regd. No.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2)

19AA 515697

के0वी0एस0एजूकेशनल सोसायटी

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली –

ट्रस्ट के उद्देश्य –ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1. बिना लिंग भेद किये केन्द्र सरकार व राज्य द्वारा सबके लिए प्राथमिक पाठशाला ,जूनियर हाई स्कूल,इण्टरमीडिएट कालेज महाविद्यालय,पी0जी0कालेज,बी0एड0,बी0पी0एड0,बी0टी0सी0। ,पुस्तकालयों, वाचनालयों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों ,अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों ,अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों,कम्प्यूटर केन्द्रों ,निराश्रित केन्द्रों ,सर्वेक्षण केन्द्र,सामुदायिक विकास केन्द्रों,पर्यावरण ,एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना,नामकरण विकास,सम्बद्ध आबद्ध,प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों ,विभागों प्रतिष्ठानों ,संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत,अनुमोदित स्वीकृत करा सकना .।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना ।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना ।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नभी संरक्षण करना ।
5. [illegible]करण एवं जंगलात का विकास करना ।
6. [illegible] बाल विकास ,एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना ।
7. प्रतियोगि[illegible] परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
8. [illegible] संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा वउसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. [illegible] सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन ,समाज कल्याण ,नाबार्ड ,कपांर्ट ,सामाजिक न्याय [illegible]कारिता मंत्रालय,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,महिला कल्याण,नेहरु युवा केन्द्र,खेलकूद [illegible] ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना

PHEKAN RAM
Advocate
Tehsil K.D.-Saidpur
Distt.-Ghazipur
Regd. No.